(140)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15, 2011/पौष 25, 1932
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 15, 2011/PAUSA 25, 1932

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 25(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2011 कहलाएगी।

(2) यह 01 अप्रैल, 2011 से प्रवर्तन में आएगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (इसके बाद इसे उक्त योजना के नाम से जाना जाएगा) में पैराग्राफ 60 में, उप-पैराग्राफ (5) के उपरान्त निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) पैराग्राफ 72 के उप-पैराग्रफ (6) के उपबंधों के अंतर्गत किसी सदस्य के खाते में उस तारीख से जिस से यह अप्रचलित खाता हो जाएगा, ब्याज जमा नहीं कराया जाएगा।"

3. उक्त योजना में पैराग्राफ 72 में उप-पैराग्राफ (6) में:—

(क) "परन्तु कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है" शब्दों के लिए "परन्तु पैराग्राफ 69 या 70 या अंतरण, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत आहरण के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) दोनों ही जगह आए "तीन वर्ष" शब्दों के लिए, "छतीस महीने" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. एस-35012/01/2010-एस. एस.-II]
एस. के. देव वर्मन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—कर्मचारी भविष्य निधि योजना, सं. का. नि. आ. 1509, दिनांक 02 सितम्बर, 1952 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा पिछली बार सं. सा.का.नि. 744(अ), दिनांक 09 सितम्बर, 2010 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2011

G.S.R. 25(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5, read with sub-section (1) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely :—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2011.

(2) It shall come into force from the 1st day of April, 2011.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 60, after sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely :—

"(6) Interest shall not be credited to the account of a member from the date on which it has become Inoperative Account, under the provisions of sub-paragraph (6) of paragraph 72."

3. In the said Scheme, in paragaph 72, in sub-pargraph (6):—

(a) for the words "but no claim has been preferred" the words "but no application for withdrawal under paragraphs 69 or 70 or transfer, as the case may be has been preferred " shall be substituied;

(b) for the words "three years", at both the places where they occur, the words "thirty six months" shall be substituted.

[F. No. S-35012/01/2010-SS-II]

S. K. DEV VERMAN, Jt. Secy.

Note :—The Employees' Provident Funds Scheme, was published in the Gazette of India, *vide* number S.R.O. 1509, dated the 2nd September, 1952 and lastly amended *vide* number G.S.R. 744(E), dated the 9th September, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.